U;k;ky; HkwicU/k vf/kdkjh ,o inujktLo
vihy ikf/kdkjh chdkusj
Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy l0 20@2019

1- रामेश्वरलाल पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी सोमासी तहसील व जिला चूरू ।

vihykWVl

cuke

1. फुलीदेवी पत्नी सांवताराम जाति जाट निवासी सोमासी तहसील व जिला चूरू ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू जिला चूरू ।

–jLiksM.Vl

mifLFkr%& 1. श्री सुरेन्द्र डूडी अधिवक्ता अपीलांट्

2. श्री भागीरथ सिद्व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh p: ds fu.kZ; fnukad 08-03-2018 ds fo:} vihy vUrxZr /kkjk 225 jktLFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

<u>fu.kZ;</u> दिनांकः–09.012.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी चूरू के निर्णय दिनांक 08.03.2018 के विरूद्व पेश हुई है । अपीलांट ने वादगत कृषि वाके रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित है । अपीलांट की और से पेश मूल दावा/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट का खारिज किया गया जिसके विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि फुलीदेवी खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 281/133 रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू में ही अपीलांट का अपनी कृषि भूमि ख0न0 220/135 रोही मोजा सोमासी तहसील चूरू में व इस भूमि पर बने अपने रिहायसी घर में

आवागमन का उक्त कृषि भूमि क्रय करने की दिनांक 09.08.1985 से एक मात्र रास्ता रहा है व आज भी है यही विवादित वादगत रास्ता है जिका मौके पर होना पूर्व उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदारो ने हल्का पटवारियों ने स्वीकार किया – अपनी अपनी मौका रिपोट्र व नजरी नक्शे पेश किये है मौके पर रास्ता पर इन्टर लोक का खुर्रा बना हुआ है – को राजस्व रेकार्ड के नक्शा एक्स में काट दिया जावे ऐसे रास्ता की बाबत पेश दावा को जो तकनिकी त्रुटि से प्रार्थना पत्र के स्थान पर दावा लिख दिया गया का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे निरस्त करने का जो आदेश दिया गया है वो वास्तविकाता के विपरित है । अपीलांट द्वारा अपनी प्लींडिग मं यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि रास्ता जो चूरू से भालेरी सडक आम से फटकर पूर्वी तरफ सडक से चिपती हुई कृषि भूमि ख0न0 281/135 रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू में आता है को राजस्व रेकार्ड के नक्शा एक्स के खेत ख0न0 281/133 में काटकर नक्शा एक्स में अंकित किया जावे । उक्त कृषि भूमि में आवागमन का यही एक मात्र रास्ता रहा है व आज भी है । जिसकी बाबत अपीलांट ने 15 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये है इसके विपरित रेस्पो0 सं0 1 ने केवल मात्र जवाबदावा है जिसका भी अपीलांट के द्वारा जवाब पेश किया जा चूका है मातहत अदालत द्वारा ऐसे दस्तावेजी साक्ष्यों की अनदेखी कर केवल मात्र रेस्पो0 की जवाबदेही का सहारा लेकर, झूठे तथ्यों को सही मानकर बिना किसी प्रमाण के आधार के वैकल्पिक दूसरा रास्ता मानकर जो आदेश पारित किया है वो खारिज योग्य है । रकबा छोटा या बडा हो रास्ते की आवश्यकता समान रूप से सभी काश्तकार को होती है रकबा कम मानकर घर बना हुआ मानकर रास्ते की आवश्यकता ना होना सही नही है अपीलांट की कृषि भूमि की किश्म कृषि भूमि है वो काश्त होती है । किसी प्रकरण के टाईटल में दावा, प्रार्थना पत्र, अपील, निगरानी या याचिका लिखने मात्र से प्रकरण की विषय वस्तू की प्रकृतिनही बदल जाती है वो वेसी ही रहती है तकनीकी त्रुटि को न्यायालय स्वविवेक से अथवा पक्षकार के निवेदन पर कभी भी किसी भी स्टेज पर सुधार कर सकता है प्रकरण में जेर बहस अपील में ऐसा न कर अपीलांट के प्रकरण को दावा की बाबत प्रार्थना पत्र ट्रीट न करते हुए तकनीकी त्रुटि होना स्वीकार करते हुऐ जेर बहस अपील पारित किया वो खारिज योग्य है । अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.2018 को खारिज करावें ।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कारणो व प्रस्तुत शपथ पत्र एवं बहस पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है ।

4. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट/वादी द्वारा जो वाद धारा 251 ए आरटीएक्ट को प्रस्तुत किया गया है वो दावा न होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था क्योंकि धारा 251ए में दावा लाने का कोई प्रावधान नही है सैडयूल 3 आरटीएक्ट के अनुसार इसमें प्रार्थना पत्र की कार्यवाही चलाने का

प्रावधान है जबकि अपीलांट/वादी ने 251ए में दावा प्रस्तुत किया है । धारा 251 ए में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी खातेदारी अपनी खातेदारी कृषि भूमि में जाने के लिये आवेदन ला सकता है जबकि प्रार्थी अपने रिहायसी घर तक पहुंचने के लिये रास्ता चाह रहा है । धारा 251ए के तहत घर के लिये रास्ता दिया जाने का कोई प्रावधान नही है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03. 2018 की पालना यथावत रखी जावे । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. हमने अपीलांट/रेस्पो0 पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 251ए का दावा प्रस्तुत कर कानूनी भूल की है अपीलांट/वादी द्वारा धारा 251ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी का दावा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नही करने के आधार पर खारिज किया गया है जिससे अपीलांट/वादी को न्याय प्राप्त नही हुआ है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 220/135 रकबा 12 बिस्वा खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें अपीलांट/वादी द्वारा अपना रिहायसी मकान बनाकर कृषि कार्य किया जाना प्रतीत होता है तहसीलदार चूरू की मोका रिपोर्ट व नक्शे के अनुसार वादगत कृषि भूमि में जाने के लिये पूर्व में चला आ रहा रास्ता चूरू से भालेरी सडक आम से फटकर पूर्वी तरफ सडक से चिपती हुई कृषि भूमि ख0न0 281/135 रोही मौजा सोमासी तहसील चूरू में आता है जिसे अपीलांट अपने राजस्व रेकार्ड के नक्शा एक्स के खेत ख0न0 281/133 में काटकर नक्शा एक्स में अंकित करवाना चाहता है जो वादगत कृषि भूमि में आवागमन का एकमात्र रास्ता है जो आज भी चालू है ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाती है एवम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.03.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट/वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद को प्रार्थना पत्र मानते हुऐ या नया प्रार्थना पत्र लेकर दोनो पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कराते हुऐ गुणावगुण के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही करते हुऐ निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

7. निर्णय आज दिंनाक 09.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkMh½
Hkw izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj